

पीएम-स्वनिधि योजना से कारोबार में लाभ

औसत वार्षिक व्यापार लाभ में करीब 20% की वृद्धि

डिजिटल भुगतान अपनाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी

नई दिल्ली, 24 जुलाई. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना देशभर के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है.

योजना के जरिए न केवल लाखों छोटे कारोबारियों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, बल्कि उनके व्यापार, आय और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. आवासन एवं



शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, योजना का दायरा अब चरणबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर जनगणना वाले कस्बों और शहरी बाहरी इलाकों तक विस्तारित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स इसका लाभ उठा सकें.

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस

, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2023 और 2025 में किए गए स्वतंत्र अध्ययनों से योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वर्ष 2023 के अध्ययन में देश के 100 शहरी स्थानीय निकायों के 5,000 से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया था.

अध्ययन में पाया गया कि 95 प्रतिशत लाभार्थियों के लिए पीएम-स्वनिधि के तहत मिला ऋण उनका पहला बैंक ऋण था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए किया. वर्ष 2025 में 99 शहरी स्थानीय निकायों के 5,000 से अधिक लाभार्थियों पर किए गए अध्ययन में यह सामने आया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच लाभार्थियों के औसत वार्षिक व्यापार लाभ में लगभग

मंत्रालय के अनुसार, ऋण उपलब्ध होने से लाभार्थी परिवारों की आय और खर्च में स्थिरता आई है, जिससे बेहतर भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है . सरकार ने दूसरी ऋण किशत सफलतापूर्वक चुका चुके लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिवड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू की है .

20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यह इस बात का संकेत है कि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

कच्चा तेल 100 डॉलर के पार



मुंबई, 24 जुलाई. कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर भारी दबाव देखने को मिला. कारोबार की शुरुआत से ही निवेशकों में बिकवाली का माहौल रहा, जिससे सेंसेक्स करीब 700 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ 23,666 के आसपास खुला.

वहीं, बैंक निफ्टी भी करीब 422 अंक कमजोर होकर कारोबार करता दिखा. वैश्विक बाजारों में

बढ़ती अनिश्चितता, कच्चे तेल की महंगाई और निवेशकों की सतकता ने घरेलू बाजार की धारणा को कमजोर किया. एशियाई बाजारों का रुख भी मिला-जुला रहा. जापान का निक्केई करीब 2.83 प्रतिशत तक लुढ़क गया, जबकि हेंगसेंग में हल्की बढ़त दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर महंगाई और चालू खाते के घाटे का दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. निफ्टी-50 के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 50 में से 45 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि केवल 5 शेयरों में बढ़त दर्ज हुई. गिरते बाजार में सिप्ला, एचसीएल टेक, टीसीएस, अदाणी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया ने मजबूती दिखाई.

भारतीय शिल्प की आत्मा रहे अडिग

नई दिल्ली, 24 जुलाई। वैशाली एव द्वारा भारतीय शिल्पकला का मूल भारतीय ही रहना चाहिए। वैश्विक बनने की आवश्यकता उसकी प्रस्तुति की भाषा को है। मेरे लिए किसी भी परिधान की आत्मा और उसकी अभिव्यक्ति दो बिल्कुल अलग बातें हैं।

आत्मा कभी नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति समय के साथ निरंतर विकसित होती रहनी चाहिए। परिधान की आत्मा में वह सब कुछ शामिल है जो उसे दुनिया में कहीं और दोहराया नहीं जा सकता— हमारी हँडलूम परंपराएं, बुनाई की



विशिष्ट तकनीकें, प्राकृतिक रेशे, सदियों से संचित ज्ञान, हमारे कारीगरों का मानवीय स्पर्श और हर शिल्प के पीछे की दार्शनिक सोच। यह केवल हमारी विरासत नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति भी है। यही वह विशेषता नहीं है जो केवल भारत के पास है और जिसकी ओर

एथेनॉल जांच की मांग तेज

तेल कंपनियों से जांच उपकरण और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग

मिलावटी ई-20 पेट्रोल बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, 24 जुलाई. देशभर में ई-20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच अब पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार और तेल विपणन कंपनियों के सामने एक नई मांग रखी है.

उनका कहना है कि यदि सरकार मिलावटी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर सख्त कार्रवाई करना चाहती है, तो पहले पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा और गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पेट्रोल में वास्तव में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिला हुआ है. हाल के दिनों में ई-20 पेट्रोल को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं.

कुछ लोगों का दावा है कि इससे वाहनों के इंजन पर असर पड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मानकों के अनुरूप तैयार ई-20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है.

सरकार का मानना है कि यदि कहीं समस्या सामने आती है, तो उसका कारण ई-20 नहीं बल्कि ईंधन में संभावित मिलावट हो सकती है. इसी वजह से केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि मिलावटी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

इसी के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि मार्केटिंग डिस्सिलिंग गाइडलाइंस (एमडीओ) के तहत डिंपो से आने वाले ईंधन की गुणवत्ता जांचना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे एथेनॉल का वास्तविक प्रतिशत मापा जा सके. ऐसे में बिना जांच सुविधा के गुणवत्ता की जिम्मेदारी तय करना व्यावहारिक नहीं है.

दो दिन में 4,400 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी 9,600 रुपये लुढ़की

नई दिल्ली, 24 जुलाई. सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले दो कारोबारी सत्रों में सोना करीब 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 9,600 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और क्रैंट क्रूड के 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर भी देखने

को मिल रहा है. वायदा बाजार में अगस्त डिलीवरी वाला सोना गिरकर 1,41,742 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि सितंबर डिलीवरी की चांदी शुरुआती कारोबार में 2,17,325 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल गई.

वहीं, सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,44,330 रु 22 कैरेट सोना 1,32,300 रुपये और चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती रही.

अमेरिका का 60 देशों पर नया टैरिफ लागू



नई दिल्ली, 24 जुलाई. अमेरिका ने भारत सहित दुनिया के 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लागू कर दी है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार, शुक्रवार से प्रभावी हुई इस व्यवस्था के तहत भारत का 10 प्रतिशत टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुछ अन्य देशों पर 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है.

यह नई व्यवस्था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष की शुरुआत में लागू किए गए 10 प्रतिशत अस्थायी टैरिफ की अवधि समाप्त होने के बाद लागू हुई है. सरकार और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि यह व्यवस्था पुराने शुल्क का स्थान ले रही है, इसलिए भारतीय निर्यातकों पर फिलहाल कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा अमेरिका ने यह कदम फोर्स

आईटीआर भरने की समय सीमा करीब

नई दिल्ली, 24 जुलाई. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ गई है. आम करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग अपना आईटीआर जमा कर चुके हैं. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके पास अब सीमित समय बचा है. कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी सालाना आय आयकर सीमा से कम है तो उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन टेक्स विशेषज्ञों के अनुसार, कम आय होने के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद होता है. आईटीआर आपकी आय का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है.

टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर

अगले 10 वर्षों में 1.4 करोड़ नए कुशल कर्मचारियों की होगी जरूरत

नई दिल्ली, 24 जुलाई. भारत का टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग आने वाले वर्षों में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है. उद्योग जगत और सरकार के अनुमानों के अनुसार, घरेलू मांग, निर्यात में तेजी और वैश्विक बाजार में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अगले 10 वर्षों में इस क्षेत्र का लगभग 1.4 करोड़ अतिरिक्त कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी.

वर्तमान में यह उद्योग करीब 4.6 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है, जबकि वर्ष 2030 तक रोजगार का आंकड़ा 6 करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त समय रहते उद्योग की जरूरतों के अनुरूप



कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत किया गया, तो भारत वैश्विक टेक्सटाइल और परिधान उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन सकता है. यह जानकारी अपैरल, मेड-

हाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, विशेषकर भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते, से भारतीय निर्माताओं को नए निर्यात बाजार मिलेंगे और कुशल कर्मचारियों की मांग में तेज वृद्धि होगी. वहीं, एएमएसएसएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि रिकल गैप स्टडी और उद्योग से लगातार संवाद के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित, उत्पादक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल उपलब्ध कराया जा सके.

आईपीओ को निवेशकों का भरपूर समर्थन मिल रहा

नई दिल्ली, 24 जुलाई. आईटी समाधान उपलब्ध कराने वाली एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निगम को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में करीब आधी गिरावट आने के बावजूद दूसरे दिन भी निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ. शुक्रवार सुबह 11 बजे तक यह आईपीओ 1.43 गुना सब्सक्राइब हो चुका था. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 166.80 करोड़ जुटाना चाहती है.



रुचि दिखाई है. खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 1.80 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.25 गुना व योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) का कोटा 0.91 गुना सब्सक्राइब हुआ. कंपनी ने आईपीओ का मूल्य दायरा 120 से 127 रुपये प्रति शेयर तय किया है. एक लॉट में 110 शेयर हैं, इसलिए ऊपरी मूल्य पर खुदरा निवेशकों को कम से कम 13,970 रु. का निवेश करना होगा.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड				
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)				
(CIN-L65110TN2014PLC097792)				
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेप्टेट, चेन्नई-600031				
फ़ोन : +914445644000, फैक्स: +914445644002				
वित्तीय आस्ति्यों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना				
निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुविधायें प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि ये संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनिश्चित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध द के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.				
स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस दिनांक	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	155141281	संचित के बदले ऋण	15-Jul-2026	7,47,877.54/-
उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. राधेश्याम रावत 2. कैलाशी बाई रावत				
संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी यानी प्लॉट नंबर 38, जिसका एरिया 1870 वर्ग फुट है (म्यूटेस्शन/NOC सर्वेफि केट के अनुसार), जो लैंड सर्वे नंबर 192, पीप्ल नंबर 39, गाँव: धामनिया, तहसील: मनसा, जिला: नीमच, मध्य प्रदेश-458110 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: बावदीराम का घर, पश्चिम: सड़क, उत्तर: धना का घर, दक्षिण: मंदिर				
आपको उपरोक्त तालिका में वर्णित गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफआईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए संपादक होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुविधित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.				
एसडी० प्राधिकृत अधिकारी				
दिनांक: 25.07.2026				
स्थान: मध्यप्रदेश				
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)				

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बेंगलूर – 562002

अंचल कार्यालय: प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एक्स के समीप, साकेत नगर, अंचल कार्यालय, भोपाल

क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर, फोन: 7049919126

ई-नीलामी सूचना									
अचल संपत्तियों की ई-नीलामी (ऑनलाइन) के विक्रय की सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 एवं सेक्यूरिटी इंस्ट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं (9) के अन्तर्गत									
यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा वित्तीय आस्ति्यों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं सेक्यूरिटी इंस्ट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत ले लिया है, सेवाप्रदाता पीएसबी एलयांस प्रा.लि. के द्वारा संचालित ई-नीलामी निम्न शर्तें एवं नियम के आधार पर संपत्ति का विक्रय वेबसाइट https://baanknet.com/ द्वारा की जायेगी।									
क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/सह ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्तियों का विवरण	क्षेत्रफल	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का प्रकार	वकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स साई स्टोन क्रशर, प्रोप्रायटर श्रीमती रिजवाना अंसार, श्रीमती रिजवाना अंसार पति मोहम्मद अंसार अहमद, मेसर्स सरकार बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रोप्रायटर मोहम्मद अंसार अहमद, मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निषार अहमद	सर्वे/खसरा नं. 15/2, पटवारी हल्का नं. 79, ग्राम नागचुम, ईस्ट निमाड, खण्डवा (म.प्र.) 452001, मालिक: मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निसार अहमद, चर्तु:सीमा: उत्तर: सर्वे/खसरा नं. 15/1, दक्षिण: सर्वे/खसरा नं. 17/1, पूर्व: सर्वे/ खसरा नं. 13 एवं 14, पश्चिम: 20 फीट रोड उसके बाद सर्वे/खसरा नं. 16	4000 वर्गमीटर	सांकेतिक कब्जा	मकान + भूमि	31,11,471.44 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 21.11.2025 से	Rs. 41,00,000	12.08.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
2.	नंदा नगर शाखा, इन्दौर 94250 00374	मेसर्स श्री श्याम क्रिएशन एण्ड होम डेकोर, प्रोप्रायटर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पति अमन शर्मा, मेसर्स श्री श्याम कलेक्शन, प्रोप्रायटर श्री अमन शर्मा, श्री अमन शर्मा पिता कमल देव शर्मा, श्री सुजित सिंह राठौड पिता विश्वनाथ सिंह	फ्लैट नं. 102, पहली मंजिल, अक्षत एल्यू. प्लाट नं. डी-1, श्रीजी वैली, बिचोली मंदाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016, मालिक: श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पति अमन शर्मा, उत्तर: एमओए उसके बाद फ्लैट नं. डी-2, दक्षिण: फ्लैट नं. 101, पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: लोबी एवं फ्लैट नं. 103	1070 वर्गफीट (सुपर लिट एअप)	भौतिक कब्जा	फ्लैट	35,74,648.47 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 18.11.2025 से	Rs. 22,00,000	12.08.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
3.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स बालाजी सब्जी भंडार, प्रोप्राइटर श्री रोहित वर्मा एवं श्री रोहित वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा	लेआउट प्लाट नं. 117, प्लाट नं. 13 पर स्थित रहवासी मकान, विनायक एल्यूकोलोनी, सुभाष चंद्र बोस वार्ड नं. 49, डायवर्टेड शीट नं. 01, पटवारी हल्का नं. 95, मालिपुरा, खण्डवा (म.प्र.) 450001, मालिक:श्री रोहित वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा, सीमाएं: उत्तर: कॉलोनी की सड़क, दक्षिण: कॉलोनी का प्लाट नं. 118, पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: रास्ते के बाद गार्डन	613.76 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	मकान	18,35,648.39 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 22.05.2025 से	Rs. 11,15,000	12.08.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)

नियम एवं शर्तें: संपत्ति का विक्रय सेक्यूरिटी इंस्ट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत एवं नीचे वर्णित शर्तों के आधार पर ही होगा। (1) संपत्ति का विक्रय भार सहित "जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर होगा। बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। (2) नीलामी/बोली केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोली के माध्य से वेबसाइट <https://baanknet.com/> के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। (3) संपत्ति का निरिक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेकर दिनांक 11.08.2026 तक या इसके पूर्व ऑफिस समय के बीच कर सकते हैं। (4) आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति का विक्रय नहीं होगा। विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी के मध्य अपनी बोली आगे बढ़ा सकते हैं। (5) ईएमपी राशि आरक्षित मूल्य का 10% राशि सेवा प्रदाता द्वारा बनाये गये वचुअल वॉलेट में प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, संबंधित शाखा के पक्ष में दिनांक 11.08.2026 तक या इसके पूर्व सायं 5.00 बजे तक जमा करना होगा। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास अपना वैध डिजिटलॉकर एवं ई-मेल पता होना चाहिए। (7) ईएमपी राशि चुकाने के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दिनांक 11.08.2026 के पूर्व सायं 05.00 बजे तक केनरा बैंक, संबंधित शाखा में व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा जमा हो जाना चाहिए। (8) ईएमपी की राशि यदि आरटीजीएस/एनईफकटी के द्वारा जमा की हो तो उसकी प्राप्त रसीद यूटीआर नं. सहित। (2) पेन कार्ड, आईडी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ कापी जबकि सफल बोलीकर्ता द्वारा इनके मूल दस्तावेज बैंक को बिड राशि की 2.5% जमा करते समय देना होगा। (3) बोलीकर्ता का नाम, संपर्क नं., पता, ई-मेल आईडी (4) ऑनलाइन ईएमपी की राशि वापस करने के लिए बोलीकर्ता के खाते की विस्तृत जानकारी। (8) इच्छुक बोलीकर्ता को अपना नाम पोर्टल <https://baanknet.com/> पंजीकृत करना होगा एवं उनकी यूजर आईडी, पासवर्ड ई:शुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीकर्ता सेवाप्रदाता पीएसबी एलयांस प्रा.लि., ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com, फोन नं.: 8291222020 से ऑनलाइन ई-नीलामी की प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण ले सकते हैं। (9) नीलामी असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमपी राशि संपत्ति के विक्रय की प्रुष्टि के दो दिन प्रश्चात वापस कर दी जावेगी। ईएमपी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (10) नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी जैसा की उपर वर्णित है। बोलीदाताओं को 50.00 लाख तक आरक्षित मूल्य वाली संपत्तियों के लिए 10,000 रुपये के गुणक में तथा 50.00 लाख से अधिक आरक्षित मूल्य वाली संपत्तियों के लिए 25,000 रुपये के गुणक में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होते समय बोलीकर्ता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाती है (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) तो उस बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की प्रुष्टि के पश्चात ही सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय की प्रुष्टि की जावेगी। (11) सफल बोलीकर्ता को उसके पक्ष में बोली की प्रुष्टि के तुरंत बाद उसी दिन या उसके अगले कार्यदिवस पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमपी की राशि केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 7049919126 पर संपर्क करें। विशेष निर्देशन/सावधानी: यह बोलीदाता/कर्ता के हित में होगा कि वे आखिरी क्षण में बोली न लगाएं क्योंकि किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली कट जाना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति हेतु बैक-अप की तैयारी रखें ताकि ऐसी स्थिति को दक्षिणार कर सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 25.07.2026